भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1160
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : जैविक खाद का उत्पादन और उपयोग

1160. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में जैविक खाद के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य योजना की प्रकृति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का राज्य-वार/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जैविक खाद को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खादका उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और फसलोंपरांत प्रबंधन तक में लगे किसानों को एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना का अभिन्न अंग हैं।

पीकेवीवाई योजना के तहत, किसानों को जैविक खाद सहित ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से 3 साल के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जबकि, एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को ऑफ फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये जैविक उर्वरक सहित ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से तथा 17,500 रुपये राज्य अग्रणी एजेंसी (एसएलए) द्वारा किसानों को रोपण सामग्री के लिए दिए जाते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत, सरकार मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरक के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को भी बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रशिक्षण, प्रदर्शन, किसान मेले और कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं।

जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) 2020-21 से 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (ग्रामीण) के चरण-II को मिशन मोड में कार्यान्वित कर रहा है। एसबीएम (जी) के तहत 2018 में लॉन्च किया गया गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-रिसोर्स-धन (गोबरधन), अब एसबीएम (जी) चरण-II के तहत बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य मवेशियों के गोबर, फसल अवशेष, बाज़ार के कचरे आदि सहित जैविक और बायोडिग्रेडेबल कचरे को बायो-गैस और बायो-स्लरी में परिवर्तित करके गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है। पूरे कार्यक्रम अवधि के लिए प्रत्येक जिले को 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

डीडीडब्ल्यूएस भारत सरकार की गोबरधन पहलों के कार्यान्वयन का समन्वय कर रहा है और उसने गोबरधन के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल विकसित किया है। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने की नीति पर उर्वरक विभाग के दिनांक 18.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, गोबरधन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत केवल वे संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी)/बायोगैस संयंत्र ही 1500 रुपये/एमटी की दर से बाजार विकास सहायता के लिए पात्र होंगे।

सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए "धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत, सब्सिडी बचत का 50% हिस्सा जैविक और प्राकृतिक खेती तथा जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने किण्वित जैविक खाद (एफओएम), तरल जैविक खाद (एलओएम) और फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) के लिए 1,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) की घोषणा की है।

अच्छी गुणवत्ता वाले जैव-उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत इसकी गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। सरकार ने 32 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है और गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों को मजबूत करने हेतु अपनी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए कदम उठाए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक खाद के उत्पादन सहित पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1160
अनुबंध - I

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैविक खाद के उत्पादन सहित पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा।

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्यकानाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
पीकेवीवाई							
1	आंध्रप्रदेश	1573.21	0.00	826.35	0.00	970.00	970.00
2	बिहार	991.81	0.00	2830.65	1547.68	2509.80	402.00
3	छत्तीसगढ	1324.74	0.00	3504.93	0.00	3175.00	1892.50
4	गुजरात	20.81	0.00	20.50	0.00	750.00	196.00
5	गोवा	0.00	0.00	1025.10	0.00	382.50	250.00
6	हरियाणा	10.40	0.00	10.25	0.00	675.00	0.00
7	झारखंड	270.50	0.00	1397.27	0.00	1772.00	163.00
8	कर्नाटक	20.81	0.00	1045.61	512.55	2803.00	2803.00
9	केरल	1209.68	0.00	1712.07	1712.07	1047.00	71.00
10	मध्यप्रदेश	1332.63	0.00	5756.54	0.00	4810.00	33.00
11	महाराष्ट्र	41.62	0.00	745.90	449.67	3361.00	1681.00
12	ओडिशा	618.12	0.00	741.44	370.72	1000.00	791.00
13	पंजाब	241.94	221.13	222.46	0.00	745.00	0.00
14	राजस्थान	4100.09	4048.07	2452.64	1783.26	3133.00	800.00
15	तमिलनाडु	63.65	0.00	704.87	0.00	1564.00	1564.00
16	तेलंगाना	31.21	0.00	30.75	0.00	568.00	0.00
17	उत्तर प्रदेश	2181.23	865.56	13400.57	5089.32	6607.00	5881.00
18	पश्चिमबंगाल	0.00	0.00	555.39	555.39	2001.00	1717.00
19	हिमाचलप्रदेश	401.17	0.00	1121.36	0.00	497.00	124.00
20	उत्तराखंड	2984.87	2953.66	6030.68	5969.00	3065.00	767.00
21	एनई(एएसपी &कॉम.)	314.87	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22	सभीसंघराज्यक्षेत्र	952.68	0.00	893.02	193.55	1863.02	380.02
	कुल	**18686.05**	**8184.81**	**45028.35**	**18183.20**	**43298.32**	**20485.70**
एमओवीसीडीएनईआर							
क्र. सं.	**राज्यकानाम**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
		आवंटन	**निर्मुक्ति**	**आवंटन**	**निर्मुक्ति**	**आवंटन**	**निर्मुक्ति**
1	असम	2587.98	0.00	2681.80	2059.15	3717.98	3684.91
2	मणिपुर	6238.76	4911.50	2915.37	2915.36	2805.38	2805.38
3	मेघालय	836.65	92.88	2011.88	621.57	2465.40	2465.40
4	नगालैंड	2781.18	2114.20	1961.01	1390.60	2346.10	2346.10
5	मिजोरम	1858.80	1291.74	1604.25	1140.90	2336.16	2336.16
6	अरुणाचलप्रदेश	2938.02	2776.10	1860.77	1642.17	2574.75	2574.75
7	सिक्किम	2406.84	795.69	4005.10	1538.83	3260.69	3260.69
8	त्रिपुरा	3042.70	1178.27	2759.82	3000.26	3370.04	3370.04
	कुल	**22690.93**	**13160.39**	**19800.00**	**14308.84**	**22876.50**	**22843.43**

*****